राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक के पास, सी–स्कीम, जयपुर–302005
दूरभाष सं. 0141–2222403, 2222805, बेवसाईट : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in, ई–मेल : dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : एफ.55 ( )अभि./सीई/डीएलबी/22/बाढ़ बचाव/46543-760 दिनांक : 06.06.2021

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय : मानसून से पूर्व शहरी क्षेत्रों में नाले–नालियों की सफाई करने एवं नालो के मलबे–कचरे को उठाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : विभागीय समसंख्यक पत्रांक : 19670–902 दिनांक 18.05.2020 एवं 98335–785 दिनांक 10.05.2021 के क्रम में।

दक्षिण–पश्चिम मानसून वर्ष 2022 के राज्य में शीघ्र ही सक्रिय होने की सम्भावना है। अतः इस सम्बन्ध में लेख है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्षा/मानसून से पूर्व शहरों में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से बचाव हेतु शहरी क्षेत्रों में स्थित नाले–नालियों की सफाई करने एवं नाले–नालियों से निकलने वाले कचरे–मलबे को अविलम्ब उठाने हेतु निम्नानुसार त्वरित कार्यवाही की जावे :–

1. शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में वर्षाती पानी की निकासी वाले नाले/नालियों की वर्षा से पूर्व सम्पूर्ण सफाई सुनिश्चित कर ली जावे। नालों–नालियों से निकलने वाले मलबा, कचरा (गीला/सूखा) को तुरन्त उठाया जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि नालों की सफाई करने के पश्चात् उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से पुनः ढ़कने की व्यवस्था की जावे।
2. नाला/नाली सफाई का कार्य मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) में स्वीकृत कार्यो के अंतर्गत अथवा नगर निकायों के स्वयं के स्रोतों से करवाये जा सकते हैं।
3. सड़कों पर फेले मलबा, कचरा को भी अविलम्ब हटाने की कार्यवाही की जावे, ताकि पानी के बहाव में रूकावट नहीं हो।
4. सड़कों व अन्य छोटी नालियों से बड़े नालों में पानी के प्रवेश के रास्तों/मौखों (Opening) पर लोहे के जाल/जाली लगाई जावे, जिससे ठोस कचरा, प्लास्टिक आदि नालों में नहीं जा पावें।
5. विभिन्न योजना/बजट घोषणा अन्तर्गत स्वीकृत/प्रगतिरत नाले–नालियों के निर्माणाधीन कार्यो को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर लिया जावे एवं सड़कों पर गड्ढ़ों की मरम्मत व पेच रिपेयर के कार्य भी मानसून से पूर्व करवा लिये जावें।
6. सड़क पर बने हुए नाला–नालियों के क्रासिंग पर व आबादी क्षेत्र में खुले नालों को फेरोकवर आदि से तुरन्त ढ़काव किया जावे।
7. शहरों में नालियों व नालों की सफाई के अभाव में पानी के बहाव में रूकावट (Water Logging) ना हो। पानी की रूकावट के कारण बाढ़ की स्थिति ना बनें।

Scanned with CamScanner

8. सीवरेज लाईन के मैनहॉल्स की सफाई एवं आवश्यक मरम्मत वर्षा काल शुरू होने से पूर्व करवाना सुनिश्चित करें। मैनहॉल्स की सफाई के बाद मैनहॉल्स को कवर्स से ढ़काव करना सुनिश्चित करें। कोई भी मैनहॉल खुला हुआ नहीं रहे। मैनहॉल्स व नालियों की सफाई के दौरान वहां पर चेतावनी के बोर्ड लगवाये जावे।

9. शहर के निचले इलाकों (Low Laying Area) कच्ची बस्तियों में नालों में इकट्ठे कचरे/मलबे, कीचड़/गंदगी एवं सड़कों पर जमा मलबा/कचरा व भरे हुये पानी को निकालने की व्यवस्था अभी से ही कर ली जावें। शहर के वर्षाती पानी की निकासी वाले नाले/नालियों की वर्षा से पूर्व सम्पूर्ण सफाई सुनिश्चित कर ली जावे।

10. कार्य की आवश्यक प्रकृति को देखते हुये, यह कार्य दिनांक 15 जून, 2022 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जावे।

अतः इस सम्बन्ध में उक्तानुसार कार्यवाही अविलम्ब करते हुये, की गई कार्यवाही की सूचना पाक्षिक रूप से निर्धारित प्रपत्र में विभाग को ई–मेल : cedlbjp@gmail.com पर अवगत करावें।

संलग्न : प्रपत्र।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ.55 ( )अभि./सीई/डीएलबी/22/बाढ़ बचाव/46761-998 दिनांक : 06.06.2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. जिला कलेक्टर्स (समस्त), राजस्थान।
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
06. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
07. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा।
08. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
09. संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय को प्रिन्ट मीड़िया में प्रकाशनार्थ।
10. एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, IT अनुभाग, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता

Scanned with CamScanner